अति आवश्यक / ईमेल

प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला

सेवा में,

हरियाणा राज्य में स्थिति सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य / प्राचार्या।

यादी क्रमांक : 24 / 108–2026 सी0.7(1)
दिनांक, पंचकूला 24.7.2026

विषयः **राजकीय महाविद्यालयो में कार्यरत सहायक /एसोसिएट प्रोफेसरों /प्रोफेसरों की वर्ष 2025–26 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यम से भरने बारे।**

....

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

प्रायः यह देखने में आया है कि राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट निश्चित समय पर नहीं भरी जाती है। जिसके कारण कई महत्वपूर्ण मामले जैसे कि Extension in Service/Senior Scale/Selection Grade/Professor Grade एवं Promotion में अनावश्यक विलम्ब होता है। जिसके कारण कई दिक्कतें आती है। इसलिए आप अपने अधीनस्थ कार्यरत सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों की वर्ष 2025–26 वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भरने के सबंध में निम्न हिदायतें जारी की गई है. जोकि निम्न अनुसार अंकित है।

1. सभी प्राचार्य यह सुनिश्चत करें कि उनके कॉलेज में कार्यरत सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरो /प्रोफेसर की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में पूर्ण परीक्षा परिणाम अंकित करें। अगर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं हुई तो उसके लिये प्राचार्य स्वंय जिम्मेवार होंगे।
2. सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसर की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की हिदायतों को ध्यान में रखकर लिखी जाए। विशेष तौर पर सत्यानिष्ठा बारे टिप्पणी के सबंध में कुछ प्राचार्य सत्यानिष्ठा के कॉलम में Satisfactory/Average/No/Nil जैसे या ऐसे शब्द जो सत्यनिष्ठा से संबंधित नहीं है. लिखते है, जोकि हिदयतों के विरूद्ध है। सत्यनिष्ठा के कॉलम में Doubtful या Beyond Doubt लिखा जाना है। इस बारे स्पष्ट रूप से सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों की सत्यानिष्ठा बारे टिप्पणी अंकित करें, यदि सहायक/ऐसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों की सत्यानिष्ठा बारे कोई भी विपरीत टिप्पणी दी जाती है तो उस सबंध में संबंधित दस्तावेज भी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के साथ संलग्न करें।
3. प्राचार्य/रिपोर्टिंग अधिकारी के अधीनस्थ यदि कोई कर्मचारी उनका सगा सम्बन्धी कार्यरत है तो वह उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में ओवर ऑल ग्रेडिंग (रिपोटिंग) लिखने के लिए सक्षम नहीं है इन परिस्थितियों में उनके self appraisal में उनकी सतयनिष्ठा तथा तथा Vigilance inquiry/criminal cases pending नहीं है बारे सत्यापित रिपोर्ट अंकित करते हुए उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट विभाग को ऑनलाईन भिजवाएं।
4. प्राचार्य के सेवानिवृत होने के कारण अगर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट निदेशालय द्वारा लिखी जानी है तो सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों द्वारा गरे गये सैल्फ अप्रेजल प्रोफोर्मा में सत्यानिष्ठा का कॉलम महाविद्यालय के कार्यालय रिकार्ड के आधार पर वर्तमान प्राचार्य द्वारा आनेंलाईन भर कर भेजा जाये तथा सत्यानिष्ठा का कॉलम अधूरा न छोड़ा जाये।
5. सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों द्वारा भरे गये परीक्षा परिणामों को रिकार्ड के आधार पर प्रमाणित करके प्राचार्य प्रतिहस्ताक्षर करें एवं परीक्षा परिणामों की विश्वविद्यालय की पास प्रतिशत तथा महाविद्यालय की पास प्रतिशत का अन्तर अवश्य लिखी जाये। यदि

सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों की पास प्रतिशत विश्वविद्यालय से कम है और प्राचार्य इस बात से सहमत है कि सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों का इसमें कोई दोष नहीं है तो इस सम्बंध में पूरा विवरण अंकित करते हुए अपनी टिप्पणी दे।

6. सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों शिक्षा सत्र के दौरान 30 जून से पूर्व तीन माह तक जिस महाविद्यालय में नियमित या प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उसी महाविद्यालय के प्राचार्य (जिस प्राचार्य की देख–रेख में कार्य किया गया हो) द्वारा लिखी

   जाये। इसके अतिरिक्त यदि उस प्राचार्य का स्थानान्तरण हो चुका हो तो वर्तमान प्राचार्य जिसका समय 3 महीने से कम है यह प्राचार्य उक्त (पूर्व) प्राचार्य को वा० गोपनीय रिपोर्ट स्थानान्तरण करेगा। इसके अतिरिक्त पूर्व प्राचार्य यदि सेवानिवृत्त हो चुका हो तो मद न० 4 के अनुसार कार्याचाही करे।
7. प्राचार्य द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाए कि उनके महाविद्यालय में कितने सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों कार्यरत है तथा कोई वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भेजी जानी शेष नहीं है। यदि कोई वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लम्बित रखी जाती है तो उसका पूर्ण विवरण ऑनलाईन देते हुए कारण स्पष्ट किया जाए।
8. प्राचार्य द्वारा यह भी सत्यापित किया जाये कि सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों के विरूद्ध कोई शिकायत/चार्जशिट तथा Vigilance inquiry/criminal cases pending तो नहीं है। यदि है तो इसका पूर्ण विवरण वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में स्पष्ट किया जाये।
9. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भरने हेतु मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी हिदायतें तथा उपरोक्त अंकित हिदायतें को ध्यान में रखकर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट निर्धारित अवधि तक निदेशालय में ऑनलाईन भिजवाना सुनिश्चित करें।
10. यदि मद न० 2 बारे प्राचार्य द्वारा अनुपालना नहीं की जाती है तो उनके विरूद अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

नोटः– सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों तथा प्राचार्यों को निर्देश दिये जाते है कि उनके द्वारा दिनांक 31.8.2026 तक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भरकर निदेशालय मे भिजवाना सुनिश्चित करें। तथा इस अवधि के उपरान्त समय को नही बढाया जाएगा। यदि किसी कारणवश वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट नहीं भरी जाती है तो उसको रद्द माना जाएगा जिसके लिए सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों/प्राचार्य स्वंय जिम्मेवार होंगें। इसके अतिरिक्त यदि कोई सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों का स्थानान्तरण अन्य विभाग/विश्वविद्यालय में हो गया हो तो प्राचार्य उन्हें Self Appraisal भरने हेतु सूचित करेगा। इसके अतिरिक्त प्राचार्य को यह भी आदेश दिए जाते है कि ऑनलाईन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में अकिंत Print का option जरूर दबाते हुए निदेशालय में भिजवाए। Portal दिनांक 24-7-26 से 31-8-26 तक खुला रहेगा।

अधीक्षक महा0–7
कृतेः महानिदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठ्रकन क्रमांक–सम **दिनांक, पंचकूला** 24/7/2026

इसकी एक प्रति अधीक्षक, आई0टी0 सैल को वर्ष 2025–26 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का पोर्टल खोलने हेतु तथा विभाग की बैवसाइट/राजकीय महाविद्यालयों, हरियाणा की ईमेल आई0डी0 पर अपलोड करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक महा0 –7
कृतेः महानिदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग
हरियाणा, पंचकूला।